<u>विज्ञापन</u>

<u>विज्ञापन संख्या 01/खोजबीन समिति (लोकपाल)/ 2023</u>

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचारार्थ नामों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन/नामांकन

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए लोकपाल की चयन समिति के विचारार्थ पैनल तैयार करने के उद्देश्य से पात्र व्यक्तियों से आवेदन/नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं।

पात्रता मानदंड निर्धारित करने वाले सांविधिक प्रावधानों सहित आवश्यक ब्यौरे तथा आवेदन/नामांकन प्रपत्र कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट **https://dopt.gov.in** पर **"लोकपाल" लिंक के अंतर्गत** उपलब्ध हैं।

नियुक्ति का कार्यकाल, वेतन और भत्ते, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा क्रमशः 6 और 7 के प्रावधानों के अनुसार होंगी।

पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों के सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन/नामांकन, निर्धारित प्रोफार्मा में **28 सितंबर, 2023 - शाम 5.00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए ।**

आवेदन/नामांकन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित खोजबीन समिति के अध्यक्ष को **28 सितंबर, 2023 - शाम 5.00** बजे तक **पोस्ट बॉक्स नंबर 12, जीपीओ, नई दिल्ली- 110001** पर या ई-मेल आईडी **"lokpalsearch-com@gov.in"** पर भेजा जा सकता है। आवेदन/नामांकन की पावती की तारीख/समय की मुहर को इस उद्देश्य के लिए अंतिम माना जाएगा।

अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुए आवेदनों/नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

[न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई]
अध्यक्ष, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की
नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा विचार किए जाने हेतु नामों का पैनल तैयार करने के लिए खोजबीन समिति द्वारा आवेदन/नामानिर्देशन आमंत्रित करने से संबंधित ब्यौरे और पात्रता मानदंड

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है)

नई दिल्ली

दिनांक : **5 सितम्बर 2023**

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा विचार किए जाने हेतु रखे जाने वाले नामों का एक पैनल तैयार करने के लिए लोकपाल की खोजबीन समिति द्वारा आवेदन/नामानिर्देशन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में नामानिर्देशन कर सकता है। तथापि, ऐसे नामानिर्देशन, एक पद के लिए केवल एक नाम तक ही सीमित रहेंगे। एक व्यक्ति द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक नामानिर्देशन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा किसी पद के लिए केवल पहले प्राप्त हुए नामानिर्देशन को ही वैध माना जाएगा।

3. किसी उम्मीदवार को नामानिर्देशित करने वाले व्यक्ति को अपना नामानिर्देशन वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी तथा इस तरह किए गए नामानिर्देशन को अंतिम माना जाएगा।

4. आवेदन/नामानिर्देशन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (यहां इसके पश्चात् इसे लोकपाल अधिनियम कहा जाएगा) तथा खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 (यहां इसके पश्चात् इसे खोजबीन समिति नियमावली कहा जाएगा) के संगत प्रावधानों की शर्तों के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है।

उक्त सांविधिक प्रावधानों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट https://dopt.gov.in के अन्तर्गत "लोकपाल" लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

5. लोकपाल की संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ (8) सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे।

6. पात्रता मानदंड

(क) लोकपाल के अध्यक्ष, रूप में नियुक्ति के लिए [कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 3(2)(क) और 3(3)(ख) देखें]

कोई व्यक्ति जो

- **भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या**
- **उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या**
- **कोई विख्यात व्यक्ति अर्थात् यदि वह असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास निम्नलिखित से संबंधित विषयों में 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो :-**

  i. **भ्रष्टाचार निरोध नीति;**
  ii. **लोक प्रशासन;**
  iii. **सतर्कता;**
  iv. **बीमा एवं बैंकिंग सहित वित्त;**
  v. **विधि और प्रबंधन।**

(ख) **<u>लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु</u> [**कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 3(3)(क) देखें**]**

कोई व्यक्ति जो

- **उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या**
- **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है।**

(ग) **<u>न्यायिक सदस्य से इतर लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु</u> [**कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 3(3)(ख) देखें**]**

असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास निम्नलिखित से संबंधित विषयों में 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो :-

i. **भ्रष्टाचार निरोध नीति;**
ii. **लोक प्रशासन;**
iii. **सतर्कता;**
iv. **बीमा एवं बैंकिंग सहित वित्त;**
v. **विधि और प्रबंधन।**

नोट : लोकपाल के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे **[**कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन परंतुक को देखें**]**

7. <u>आयु</u>

आवेदक/नामानिर्देशित व्यक्ति, अध्यक्ष या सदस्य जो भी मामला हो, के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा; [कृपया लोकपाल अधिनिय की धारा 3(4)(iii) देखें]

8. <u>कार्यकाल</u> [कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 6 देखें]

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख जिसको वह अपना पदग्रहण करता है/करती है, से पांच वर्ष तक या उसके द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने, इनमें से जो भी पहले हो, तक उस रूप में पद धारण करेगा।

9. <u>पूरी की जाने वाली अन्य पूर्व शर्तें</u> [कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 3(4)(ii), (v) देखें]

(क) नामानिर्देशित आवेदक/व्यक्ति -

(i) नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध का दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं होगा;

(ii) ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिसको संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया हो या पदच्युत किया गया हो

(iii) किसी राजनीतिक दल से सहबद्ध नहीं होगा

(ख) **अध्यक्ष या कोई सदस्य** – [कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 3(4) देखें]

i. संसद का सदस्य नहीं होगा; या

ii. किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या

iii. किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं होगा; और

iv. न्यास या लाभ का कोई पद (अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न); या

v. कोई कारोबार नहीं करेगा; या

vi. कोई व्यवसाय नहीं करेगा,

और तद्नुसार अपना पदग्रहण करने से पूर्व स्थिति के अनुसार अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि –

(क) वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता है, तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा;

(ख) वह कोई कारोबार कर रहा है, तो ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देगा; या

(ग) वह कोई व्यवसाय कर रहा है, तो ऐसे व्यवसाय करने से प्रविरत हो जाएगा।

10. <u>चयन पद्धति :</u>

चयन पद्धति और प्रक्रिया को लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों तथा खोजबीन समिति नियमावली, 2014 के अनुसार विनियामित किया जाएगा।

11. <u>वेतन और भत्ते</u> [कृपया लोकपाल अधिनियम की धारा 7 देखें]

(i) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते वही होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की होती है,

(ii) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ही होंगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है।

परंतु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से-

(क) उस पेंशन की रकम को; और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसके शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम को, घटा दिया जाएगा।

परंतु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

12. <u>अन्य संगत सूचनाएँ</u>

लोकपाल अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य रहने के पश्चात् –

- **लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;**
- **किसी राजनयिक कर्तव्यवार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, अपात्र होगा;**
- **भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा;**
- **पद त्याग करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद के किसी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए अपात्र होगा।**

लोकपाल के अध्यक्ष/सदस्य के पद के विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन करने वाले और उक्त के लिए अन्य किसी व्यक्ति का नामानिर्देशन करने वाले व्यक्ति कृपया उपरोक्त सांविधिक शर्तों का ध्यान रखें।

13. <u>आवेदन कैसे करें</u>

अध्यक्ष एवं/या सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन डाक द्वारा खोजबीन समिति के अध्यक्ष को भेजे जाएं।

सभी आवेदन या नामानिर्देशन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में ही होने चाहिए।

बिना निर्धारित प्रपत्र में या अधूरे रूप में प्राप्त आवेदनों या नामानिर्देशनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

आवेदन/नामानिर्देशन पत्र कार्मिक और प्रशिक्षण की वेबसाईट **https://dopt.gov.in** के अन्तर्गत "लोकपाल" लिंक के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

आवेदकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए हुए सभी रीति से पूर्ण आवेदन या नामानिर्देशन, अध्यक्ष लोकपाल खोजबीन समिति, **पी. ओ. बॉक्स सं. 12 जीपीओ, नई दिल्ली- 110001** के पते पर ही भेजे जाएँ और **28 सितम्बर 2023** को **सायं 5.00 बजे तक** पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों/नामानिर्देशनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदक और नामानिर्देशन करने वाले व्यक्ति का ही यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि आवेदन/नामानिर्देशन निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट पोस्ट बॉक्स या ई मेल पर पहुँचे।

आवेदन के लिफाफे के ऊपर निम्नलिखित होगा :-

- “अध्यक्ष, लोकपाल की नियुक्ति के लिए आवेदन”; या
- “न्यायिक सदस्य, लोकपाल की नियुक्ति के लिए आवेदन”; या
- “ गैर न्यायिक सदस्य, लोकपाल की नियुक्ति के लिए आवेदन”, जैसा भी मामला हो।

<u>यदि आवेदक अलग-अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहे तो अलग आवेदन किया जाए।</u>

<u>यदि नामानिर्देशन करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति का विभिन्न पदों के लिए नामानिर्देशन करना चाहे तो अलग से नामानिर्देशन किया जाए।</u>

<u>ईमेल</u>

आवेदन / नामानिर्देशन, निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित ई-मेल आईडी “**lokpalsearch-com@gov.in**” पर भी अग्रेषित किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त करने की तारीख/समय स्टैम्प को उक्त प्रयोजनार्थ अंतिम माना जाएगा।

लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का नामानिर्देशन करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह नामानिर्देशित उम्मीदवार [अर्थात् जिस व्यक्ति की अनुशंसा प्रस्तावित है] से उसकी सहमति, आवश्यक घोषणा, सहमति और वचनबंध प्राप्त करे।

****

आवेदन फॉर्म

फॉर्म भरने से पहले कृपया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ लोकपाल के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के लिए तथा कार्यकाल, वेतन आदि से संबंधित सांविधिक प्रावधानों और इस फॉर्म के साथ संलग्न अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें।

जहाँ भी आवश्यक हो, उपयुक्त बॉक्स में (√) का निशान लगाएं।

1. निम्नलिखित की नियुक्ति के लिए आवेदन –

(a) अध्यक्ष, लोकपाल; ☐

(b) न्यायिक सदस्य, लोकपाल; ☐

(c) गैर-न्यायिक सदस्य, लोकपाल ☐

[*यदि आप कई पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कृपया अलग-अलग आवेदन पत्र का उपयोग करें*]

2. आवेदक का नाम

____

[*कृपया पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें*]

कृपया हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

3. जन्म तिथि - दिन/महीना/वर्ष

____

(*शब्दों में*)

4. लिंग

5. दिनांक 6 सितम्बर 2023 को आयु- _______ वर्ष ______ माह

6. क्या आवेदक निम्नलिखित किसी समाजिक वर्ग से संबंधित है –

[*कृपया उपयुक्त बाक्स में (√) का निशान लगाएं यदि आवेदक एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो एक से अधिक बाक्स में (√) का निशान लगाएं*]

अनुसूचित जाति	
अनुसूचित जनजाति	
अन्य पिछड़ा वर्ग	
अल्पसंख्यक	

[*कृपया जहां कही आवश्यक हो, वहां विशेष श्रेणी के सदस्य के दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करें*]

7. आवेदक का वर्तमान पता (पिन कोड सहित)

____

____

____

____

____

____

8. आवेदक का स्थायी पता (पिन कोड सहित)

____

____

____

____

____

____

आवेदक के अन्य सम्पर्क विवरण	दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)	मोबाइल नं.	ई-मेल

9. शैक्षिक योग्यताएं ______________________

____

____

10. वर्तमान रोजगार/व्यवसाय यदि कोई हो, का ब्यौरा

____

11. धारित पद/स्थिति/पदनाम ____________________

12. मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम जहां वर्तमान में कार्यरत हैं

मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम			
मंत्रालय/विभाग/संगठन का डाक पता			
संगठन			
विभाग/संगठन के प्रधान आवेदक के अन्य सम्पर्क विवरण	दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)	मोबाइल नं.	ई-मेल

13. यदि आवेदक स्वरोजगार में है, तो कृपया स्वरोजगार के क्षेत्र का विवरण दें

____

14. अनुभव का ब्यौरा –

क्र.सं.	क्षेत्र	अवधि			
		से	तक	कुल अनुभव	
				वर्ष	महीना
1.	भ्रष्टाचार निवारण नीति				
2.	लोक प्रशासन				
3.	सतर्कता				
4.	बीमा एवं बैंकिंक सहित वित्त				
5.	विधि एवं प्रबंधन				
	कुल अनुभव				

टिप्पणी 1: *कृपया विस्तृत जीवनवृत्त संलग्न करें जिसमें कालक्रमानुसार आवेदक द्वारा धारित पदों को भी दर्शाया जाए।*

टिप्पणी 2: *अलग से एक पृष्ठ भी संलग्न किया जाए जिसमें प्राप्त पुरस्कार/सम्मान तथा कोई अन्य विशेष उपलब्धि दर्शायी जाए।*

टिप्पणी 3: *कृपया एक व्यक्तिगत विवरण (अधिकतम 200 शब्द) संलग्न करें जिसमें इस बात का विस्तृत औचित्य दिया जाए कि आप (आवेदक) किस प्रकार उस पद की योग्यता को पूरा करते हैं जिसे आप (आवेदक) लोकपाल में धारित करने की आकांक्षा रखते हैं।*

15. यदि आवेदक वर्तमान या अतीत में न्यायपालिका का सदस्य रहा है, तो कृपया दर्शाएं कि वह कौन सा पद है/कौन सा पद था –

धारित न्यायिक पद	हां	नहीं	अवधि जिसके दौरान पद धारित किया गया था
भारत के मुख्य न्यायाधीश			
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश			
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश			

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

मोबाइल नं. :

ई-मेल

टिप्पणी 1: कृपया घोषणा तथा आवश्यक वचनबंध प्रस्तुत करने संबंधी फार्म के लिए अगला पृष्ठ देखें।

घोषणा

[*आवेदक द्वारा की जाए*]

मैं, ... इसमें इसके पूर्व कथित आवेदक के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त तथा संलग्न विवरण भाग में दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

2. मैं यह भी समझता/समझती हूं कि आवेदन में निहित सूचनाओं के गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के सांविधिक प्रावधानों से अवगत हूं जिसमें आवश्यक अर्हता और अन्य शर्तों उल्लेखित किया गया है।

4. मैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8 से भी अवगत हूं जो अध्यक्ष अथवा सदस्य जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नियोजन पर प्रतिबंध लगाती है और मैं इस बात की पूर्ण जानकारी होने के साथ उक्त का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं कि ऐसे पद को छोड़ने के बाद वे निम्न हेतु अपात्र हो जाउंगा :-

i. लोकपाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति;
ii. किसी राजनयिक समनुदेशन, किसी संघराज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य समनुदेशन अथवा ऐसी नियुक्ति जो विधि द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के जरिए की जानी आवश्यक है;
iii. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी लाभ के पद पर अन्य नियोजन;
iv. पद त्याग करने से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य अथवा नगरपालिका अथवा पंचायत के किसी निर्वाचन में चुनाव लड़ना।

5. मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि –

(क) मुझे नैतिक भ्रष्टता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
(ख) मुझे संघ अथवा राज्य की सेवा से हटाया अथवा निकाला नहीं गया है।
(ग) मैं संसद का सदस्य नहीं हूं।
(घ) मैं किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल का सदस्य नहीं हूं।

(ङ) मैं किसी पंचायत का सदस्य नहीं हूं।

(च) मैं किसी नगरपालिका का सदस्य नहीं है।

(छ) मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं।

[जो लागू न हो कृपया उसे काट दें]

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

मोबाइल नं. :

ई-मेल :

<u>वचनबंध</u>

मैं ______________________ **एतदद्वारा** लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3(4) एवं 8 के अनुसार सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूं और विशेष रूप से यह वचन देता/देती हूं कि चयन की स्थिति में तथा अध्यक्ष/सदस्य का पद ग्रहण करने से पहले मैं - **[जो लागू न हो कृपया उसे काट दें]**

(क) वर्तमान में मेरे द्वारा धारित न्याय अथवा लाभ के पद नामत:..........................., से पदत्याग कर दूंगा/दूंगी।

(ख) वर्तमान में मेरे द्वारा संचालित अथवा प्रबंधित किसी व्यापार नामत:.....................से संबंध विच्छेद कर लूंगा/लूंगी।

(ग) अपनी वर्तमान वृत्ति नामत:.............................को बंद कर दूंगा/दूंगी।

दिनांक :	आवेदक का हस्ताक्षर
स्थान :	पूरा नाम :
	मोबाइल नं. :
	ई-मेल :

<u>अनुदेश :</u>

1. कृपया दिए गए स्थान मैं मांगी गयी सूचना प्रदान करें।
2. यदि अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता हो तो कृपया विशिष्ट कॉलम के अन्तर्गत यथोचित प्रति संदर्भों के साथ अलग पत्रक संलग्न करें।
3. नामांकन फार्म में कोई कॉलम खाली नहीं होना चाहिए।
4. प्रत्येक कॉलम में मांगी गयी सूचना के अनुसार पूर्ण और विशिष्ट सूचना होनी चाहिए, अथवा लागू न होने की स्थिति में कृपया "शून्य" दर्शाएं।
5. अध्यक्ष, खोजबीन समिति के कार्यालय को सीधे भेजा गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और दिनांक 6 सितम्बर 2023 के विज्ञापन में इंगित माध्यम से भेजा जाए।
6. सम्पर्क विवरण को कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।
7. किए गए नामानिर्देशन के संबंध में कोई अतिरिक्त पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. एक से अधिक पदों हेतु किए गए आवेदनों के मामले में कृपया अलग आवेदन किए जाएं।
9. आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से यह लिखा जाए कि आवेदन (क) अध्यक्ष, लोकपाल; अथवा (ख) न्यायिक सदस्य, लोकपाल; अथवा (ग) गैर- न्यायिक सदस्य, लोकपाल के पद हेतु है।
10. ई- मेल के माध्यम से आवेदन किए जाने के मामले में विषय में स्पष्ट उल्लेख करते हुए उपर्युक्त शर्त पूरी की जानी आवश्यक है।
11. आवेदन के समर्थन में प्रचार सख्त मना है।
12. इस फॉर्म को भरने से पहले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 और खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 के संगत सांविधिक प्रावधानों का कृपया अवलोकन करें।

नामनिर्देशन फॉर्म

फॉर्म भरने से पहले कृपया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ लोकपाल के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के लिए तथा कार्यकाल, वेतन आदि से संबंधित सांविधिक प्रावधानों और इस फॉर्म के साथ संलग्न अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें।

जहाँ भी आवश्यक हो, उपयुक्त बॉक्स में (√) का निशान लगाएं।

1. निम्नलिखित की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम निर्देशन –

क. अध्यक्ष, लोकपाल; ☐

ख. न्यायिक सदस्य, लोकपाल; ☐

ग. गैर-न्यायिक सदस्य, लोकपाल ☐

[*यदि आप कई पदों के लिए नामनिर्देशन करना चाहते हैं, तो कृपया अलग-अलग नामनिर्देशन पत्र का उपयोग करें*]

2. नामनिर्देशित उम्मीदवार का नाम

____

[*कृपया पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें*]

कृपया उम्मीदवार का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो

3. जन्म तिथि - दिन/महीना/वर्ष
____

(*शब्दों में*)

4. लिंग

5. दिनांक 6 सितम्बर 2023 को आयु- ______ वर्ष _____ माह

6. क्या नामनिर्देशित उम्मीदवार निम्नलिखित किसी समाजिक वर्ग से संबंधित है –

[*कृपया उपयुक्त बाक्स में (√) का निशान लगाएं यदि उम्मीदवार एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो एक से अधिक बाक्स में (√) का निशान लगाएं*]

अनुसूचित जाति		
अनुसूचित जनजाति		
अन्य पिछड़ा वर्ग		
अल्पसंख्यक		

[*कृपया जहां कही आवश्यक हो, वहां उम्मीदवार के विशेष श्रेणी के सदस्य के दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करें*]

7. उम्मीदवार का वर्तमान पता (पिन कोड सहित)

____

____

____

____

____

8. उम्मीदवार का स्थायी पता (पिन कोड सहित)

____

____

____

____

____

नामनिर्देशित उम्मीदवार के अन्य सम्पर्क विवरण	दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)	मोबाइल नं.	ई-मेल

9. नामनिर्देशित उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यताएं ________________

____

____

10. नामनिर्देशित व्यक्ति के वर्तमान रोजगार/व्यवसाय यदि कोई हो, का ब्यौरा ____

11. नामनिर्देशित व्यक्ति के धारित पद/स्थिति/पदनाम____________

12. मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम जहां नामनिर्देशित उम्मदवार वर्तमान में कार्यरत हैं

<table>
<tr><td>मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>मंत्रालय/विभाग/संगठन का डाक पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">विभाग/संगठन के प्रधान के अन्य सम्पर्क विवरण</td><td>दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)</td><td>मोबाइल नं.</td><td>ई-मेल</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

13. यदि नामनिर्देशित उम्मीदवार स्वरोजगार में है, तो कृपया उसके स्वरोजगार के क्षेत्र का विवरण दें ____

14. नामनिर्देशित उम्मीदवार के अनुभव का ब्यौरा –

<table>
<tr><td rowspan="3">क्र.सं.</td><td rowspan="3">क्षेत्र</td><td colspan="4">अवधि</td></tr>
<tr><td rowspan="2">से</td><td rowspan="2">तक</td><td colspan="2">कुल अनुभव</td></tr>
<tr><td>वर्ष</td><td>महीना</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>भ्रष्टाचार निवारण नीति</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>लोक प्रशासन</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सतर्कता</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बीमा एवं बैंकिंग सहित वित्त</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>विधि एवं प्रबंधन</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल अनुभव</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

टिप्पणी 1: *कृपया विस्तृत जीवनवृत्त संलग्न करें जिसमें कालक्रमानुसार नामनिर्देशित उम्मीदवार द्वारा धारित पदों को भी दर्शाया जाए।*

टिप्पणी 2: *अलग से एक पृष्ठ भी संलग्न किया जाए जिसमें नामनिर्देशित उम्मीदवार को प्राप्त पुरस्कार/सम्मान तथा कोई अन्य विशेष उपलब्धि दर्शायी जाए।*

टिप्पणी 3: *कृपया एक व्यक्तिगत विवरण (अधिकतम 200 शब्द) संलग्न करें जिसमें इस बात का विस्तृत औचित्य दिया जाए कि नामनिर्देशित उम्मीदवार किस प्रकार उस पद की योग्यता को पूरा करता/करती है जिसके लिए नामिती को नामनिर्देशित किया जा रहा है।*

15. यदि नामनिर्देशित उम्मीदवार वर्तमान या अतीत में न्यायपालिका का सदस्य रहा है, तो कृपया दर्शाएं कि वह कौन सा पद है/कौन सा पद था –

धारित न्यायिक पद	हां	नहीं	अवधि जिसके दौरान पद धारित किया गया था
भारत के मुख्य न्यायाधीश			
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश			
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश			

दिनांक :

स्थान :

नामनिर्देशित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

मोबाइल नं. :

ई-मेल

टिप्पणी 1: कृपया घोषणा और वचनबंध से संबंधित संलग्न फार्म को भरें।

टिप्पणी 2 : नामनिर्देशित करने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वे नामिती-उम्मीदवार से आवश्यक सहमति, घोषणा और वचनबंध प्राप्त करे और वह यह घोषणा करेगा कि नामिती-उम्मीदवार को उन सभी अपेक्षाओं के बारे में इस प्रकार जानकारी दे दी गई है जैसेकि उसे ही यह सब अपेक्षाएं पूरी करनी हो, यदि वह स्वयं आवेदक होता/होती।

<u>घोषणा</u>

[उम्मीदवार को नामनिर्देशित करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाए]

मैं..एतदद्वारा श्री/सुश्री/...................................को निम्नलिखित नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए नामनिर्देशित करता/करती हूं – **[कृपया जो लागू न हो उसे काट दें]**

(क) अध्यक्ष, लोकपाल;

(ख) न्यायिक सदस्य, लोकपाल;

(ग) गैर-न्यायिक सदस्य, लोकपाल

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने लोकपाल में किसी पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति की संस्तुति नहीं की है। मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि किसी पश्चातवर्ती स्तर पर इस नामांकन को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि संस्तुत उम्मीदवार को लोकपाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु सभी संगत सांविधिक प्रावधानों तथा विचार हेतु शर्तों के संबंध में सूचित कर दिया गया है और उसने मेरे द्वारा उन्हें संस्तुत किए जाने के संबंध में अपने नामनिर्देशन के लिए सहमति प्रदान कर दी है।

4. मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि नामिती-उम्मीदवार के संबंध में यथाप्रस्तुत तथा संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

5. मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत नामनिर्देशन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा यदि इस आवेदन में दी गई कोई जानकारी असत्य और गलत पाई जाती है।

6. मैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के सांविधिक प्रावधानों से अवगत हूं जो आवश्यक अर्हता और अन्य शर्ते निर्धारित करते हैं।

7. मैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8 से भी अवगत हूं जो अध्यक्ष अथवा सदस्य जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नियोजन पर प्रतिबंध

लगाती है और नामानिर्देशित उम्मीदवार इस बात की पूर्ण जानकारी के साथ उक्त का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं कि ऐसे पद को छोड़ने के बाद वे निम्न हेतु अपात्र हो जाएंगे :-

(i) लोकपाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति;

(ii) किसी राजनयिक कार्यभार, किसी संघराज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कार्यभार अथवा नियुक्ति जो विधि द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किया जाना आवश्यक है;

(iii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी लाभ के पद पर अन्य नियोजन;

(iv) पद त्याग करने से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य अथवा नगरपालिका अथवा पंचायत के किसी निर्वाचन में चुनाव लड़ना।

8. मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि नामानिर्देशित उम्मीदवार **[जो लागू न हो कृपया उसे काट दें]-**

क. नैतिक भ्रष्टता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

ख. संघ अथवा राज्य की सेवा से हटाया अथवा निकाला नहीं गया है।

ग. संसद का सदस्य नहीं है।

घ. किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल का सदस्य नहीं है।

ङ. किसी पंचायत का सदस्य नहीं है।

च. किसी नगरपालिका का सदस्य नहीं है।

छ. किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है।

9. मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता हूं कि नामानिर्देशित उम्मीदवार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3(4) और 8 के अनुसार सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है (संलग्न सहमति के अनुसार) और चयन की स्थिति में और अध्यक्ष/सदस्य का पद ग्रहण से पहले – **[जो लागू न हो कृपया उसे काट दें]**

(क) वर्तमान में उसके द्वारा धारित न्यास अथवा लाभ के पद नामतः .... से पदत्याग कर देगा।

(ख) वर्तमान में उसके द्वारा संचालित अथवा प्रबंधित किसी व्यापार नामतः... से संबंध विच्छेद कर लेगा।

(ग) अपनी वर्तमान वृत्ति नामतः .... को बंद कर देगा।

दिनांक :

स्थान :

श्री/सुश्री ....का नामानिर्देशन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

मोबाइल नं. :

ई-मेल :

<u>घोषणा और सहमति</u>

[नामानिर्देशित – उम्मीदवार द्वारा की जाए]

मैं, ... इसमें इसके पूर्व कथित नामिती एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नामानिर्दशित करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

2. मैं यह भी समझता हूं कि नामानिर्देशन हेतु सभी दृष्टि से पूर्ण प्रोफार्मा में निहित सूचनाओं को गलत पाये जाने पर मेरा नामांकन किसी औपचारिकता के बिना निरस्त कर दिया जाएगा।

3. मैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के सांविधिक प्रावधानों से अवगत हूं जो आवश्यक अर्हता और अन्य शर्ते निर्धारित करता है।

4. मैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 8 से भी अवगत हूं जो अध्यक्ष अथवा सदस्य जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नियोजन पर प्रतिबंध लगाते हैं और नामानिर्देशित उम्मीदवार इस बात की पूर्ण जानकारी के साथ उक्त का अनुपालन करने के लिए सहमत है कि ऐसे पद को छोड़ने के बाद वे निम्न हेतु अपात्र हो जाएंगे :-

(i) लोकपाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति;

(ii) किसी राजनयिक कार्यभार किसी संघराज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कार्यभार अथवा नियुक्ति जो विधिशः राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किया जाना आवश्यक है;

(iii) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी लाभ के पद पर अन्य नियोजन;

(iv) पद त्याग करने से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य अथवा नगरपालिका अथवा पंचायत के किसी निर्वाचन में चुनाव लड़ना।

5. मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि –

(क) मुझे नैतिक भ्रष्टता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

(ख) मुझे संघ अथवा राज्य की सेवा से हटाया अथवा निकाला नहीं गया है।

(ग) मैं संसद का सदस्य नहीं हूं।

(घ) मैं किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल का सदस्य नहीं हूं।

(ङ) मैं किसी पंचायत का सदस्य नहीं हूं।

(च) मैं किसी नगरपालिका का सदस्य नहीं है।

(छ) मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं।

[जो लागू न हो कृपया उसे काट दें]

दिनांक :	नामिती-उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान :	पूरा नाम :
	मोबाइल नं. :
	ई-मेल :

अनुदेश :

1. कृपया दिए गए स्थान में मांगी गयी सूचना प्रदान करें।
2. यदि अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता हो तो कृपया विशिष्ट कॉलम के अन्तर्गत यथोचित प्रति संदर्भों के साथ अलग पत्रक संलग्न करें।
3. नामांकन फार्म में कोई कॉलम खाली नहीं होना चाहिए।
4. प्रत्येक कॉलम में मांगी गयी सूचना के अनुसार पूर्ण और विशिष्ट सूचना होनी चाहिए, अथवा लागू न होने की स्थिति में कृपया "शून्य" दर्शाएं।
5. अध्यक्ष, खोजबीन समिति के कार्यालय को सीधे भेजा गया कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा और दिनांक 6 सितम्बर 2023 के विज्ञापन में इंगित माध्यम से भेजा जाए।
6. सम्पर्क विवरण को कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।
7. किए गए नामानिर्देशन के संबंध में कोई अतिरिक्त पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. एक से अधिक पदों हेतु किए गए नामांकनों के मामले में कृपया अलग आवेदन किए जाएं।
9. नामांकन वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से यह लिखा जाए कि नामानिर्देशन (क) अध्यक्ष, लोकपाल; अथवा (ख) न्यायिक सदस्य, लोकपाल; अथवा (ग) गैर- न्यायिक सदस्य, लोकपाल के पद हेतु है।
10. ई- मेल के माध्यम से नामांकन किए जाने के मामले में विषय में स्पष्ट उल्लेख करते हुए उपर्युक्त शर्त पूरी की जानी आवश्यक है।
11. नामानिर्देशन के समर्थन में प्रचार सख्त मना है।
12. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु नामानिर्देशित – उम्मीदवार से आवश्यक सहमति प्राप्त करने और सभी शर्तों और चयन प्रक्रिया, नियुक्ति का विनियमन करने वाले संगत सांविधिक प्रावधानों और लोकपाल की संस्था में कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लागू होने वाली शर्तों से नामानिर्देशित – उम्मीदवार को सूचित करने की जिम्मेदारी नामानिर्देशन करने वाले व्यक्ति की होगी।
13. नामानिर्देशन करने वाले व्यक्ति को नामानिर्देशन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।
14. प्रत्येक पद अर्थात् अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, अन्य सदस्य हेतु नामानिर्देशन केवल एक व्यक्ति तक सीमित होगा।
15. इस फॉर्म को भरने से पहले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 और खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 के संगत सांविधिक प्रावधानों का कृपया अवलोकन करें।

****